

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्- लखीसराय एवं अररिया।

विषय:- नगर परिषद्, अररिया एवं लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में नाला निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में नाला निर्माण एवं सैनितेशन मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

पटना, दिनांक- 27/09/18

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर परिषद्, अररिया एवं लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित विभागीय पत्रांक द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययपरांत तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय द्वारा उक्त आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के कारण अनिकासी प्रमाण-पत्र देते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०- 59, दिनांक- 14.09.2018 के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 में वर्णित कुल अवशेष राशि को स्तम्भ- 9 के अनुरूप राशि ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र नाला निर्माण एवं अन्य सैनितेशन मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)								
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	कोषागार से निकासी नहीं की गई राशि	अवशेष राशि [5-(6-7)]	आवंटित कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर परिषद्, अररिया	चाँदनी चौक से कोसी धार (बाया भाग) आर०सी०सी० नाला निर्माण।	139/ 29.03.2016	180.90400	30.00000	0.00000	150.90400	150.90400
2	नगर परिषद् लखीसराय	वार्ड नं०- 09 में वीणा प्रिंटिंग प्रेस से नवल भारती मकान तक एवं विषहरी स्थान से कामा स्थान तक नाला निर्माण कार्य।	26/ 12.08.2015	26.08000	13.04000	13.04000	26.08000	26.08000
कुल योग				206.98400	43.04000	13.04000	176.98400	176.98400

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र।

3. उक्त आवंटित ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया एवं लखीसराय होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-

28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त आवंटित ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48, मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215021920102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, अररिया एवं लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26-09-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018

04

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 27-09-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, अररिया एवं लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-09-18

सरकार के विशेष सचिव।

13/9/2018

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/सड़क-09-01/2018

59

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:- नगर परिषद, अररिया एवं लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में नाला निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में नाला निर्माण एवं सैनिटेशन मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

पटना, दिनांक- 14/09/18

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर परिषद, अररिया एवं लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित विभागीय पत्रांक द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय द्वारा उक्त आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के कारण अनिकासी प्रमाण-पत्र देते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 में वर्णित कुल अवशेष राशि को स्तम्भ- 9 के अनुरूप राशि ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	कोषागार से निकासी नहीं की गई राशि	अवशेष राशि [5-(6-7)]	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर परिषद, अररिया	चौदनी चौक से कोसी धार (बाया भाग) आर०सी०सी० नाला निर्माण।	139/ 29.03.2016	180.90400	30.00000	0.00000	150.90400	150.90400
2	नगर परिषद लखीसराय	वार्ड नं०- 09 में वीणा प्रिंटिंग प्रेस से नवल भारती मकान तक एवं विषहरी स्थान से कामा स्थान तक नाला निर्माण कार्य।	26/ 12.08.2015	26.08000	13.04000	13.04000	26.08000	26.08000
कुल योग				206.98400	43.04000	13.04000	176.98400	176.98400

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया एवं लखीसराय होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत ₹176.98400 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख अठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48, मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215021920102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2018 के पृष्ठ सं०-.....३०...../टि० पर दिनांक-.....12.09.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....३०...../टि० पर दिनांक-.....12.09.2018 को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, अररिया एवं लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया तथा लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018 59 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 14/09/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, अररिया एवं लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया तथा लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

o/c